



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275915
CG-DL-E-01092026-275915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4622]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4622]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4809(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के वाई . एस . आर . (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग (कोप्परथी इंडस्ट्रियल एरिया से कडपा बाईपास रोड) तक संख्या नया प्रस्तावित के कि.मी 0.000 से 3.500 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, कडपा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के वाई.एस.आर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नया प्रस्तावित के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 3+500 (कोप्परथी इंडस्ट्रियल एरिया से कडपा बाईपास रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: वाई एस आर (कडपा)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चित्तकोम्मदीने					
गांव का नाम: पब्बापुरम					
1	100	निजी	(ड्राई)	0.8389 (एकर)	0.3394982
2	101	निजी	(ड्राई)	0.5355 (एकर)	0.2167139
3	102	निजी	(ड्राई)	0.9311 (एकर)	0.376811
4	106	निजी	(ड्राई)	2.9553 (एकर)	1.195994
5	107	निजी	(ड्राई)	1.9906 (एकर)	0.8055848
6	108	निजी	(ड्राई)	0.4077 (एकर)	0.1649939
7	109	निजी	(ड्राई)	1.0845 (एकर)	0.4388911
8	114	निजी	(ड्राई)	2.6333 (एकर)	1.065682
9	118	सरकारी	(पाँड)	9.7943 (एकर)	3.963699
10	124	निजी	(ड्राई)	0.25 (एकर)	0.1011736
11	126	निजी	(ड्राई)	0.2325 (एकर)	0.0940915
12	127	निजी	(ड्राई)	0.1 (एकर)	0.0404695
13	33	निजी	(ड्राई)	0.1483 (एकर)	0.0600162
14	38	निजी	(ड्राई)	0.3467 (एकर)	0.1403076
15	45	निजी	(ड्राई)	3.9912 (एकर)	1.615217
16	47	निजी	(ड्राई)	8.6712 (एकर)	3.509187
17	49	निजी	(ड्राई)	2.2526 (एकर)	0.9116147
18	50	निजी	(ड्राई)	2.4535 (एकर)	0.9929178

19	51	निजी	(ड्राई)	0.1 (एकर)	0.0404695
20	52	निजी	(बेट)	0.0274 (एकर)	0.0110886
21	61	निजी	(विलेज साइट)	2.0984 (एकर)	0.8492108
22	93	निजी	(ड्राई)	2.6585 (एकर)	1.07588
23	96	निजी	(ड्राई)	0.1483 (एकर)	0.0600162
24	97	निजी	(ड्राई)	1.5422 (एकर)	0.6241198
25	98	निजी	(ड्राई)	4.6349 (एकर)	1.875718
गांव का नाम: पापासाहेबपेट					
26	1	निजी	(ड्राई)	2.4344 (एकर)	0.9851882
27	2	निजी	(ड्राई)	3.5224 (एकर)	1.425496
28	21	सरकारी	(रोड)	0.1712 (एकर)	0.0692837
29	3	सरकारी	(हिल स्ट्रीम)	0.2387 (एकर)	0.0966006
गांव का नाम: चितकोम्मादीनने					
30	1568	सरकारी	(हिल स्ट्रीम)	0.3734 (एकर)	0.1511129
Total					23.2970471

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4809(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building widening, two/four lane with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of Kopparthi Industrial Area to Kadapa ByPass Road under Newly proposed National Highway in km. 0.000 to 3.500 in the district of Y.S.R Kadapa in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The REVENUE DIVISIONAL OFFICER, Kadapa in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 3+500 (Kopparthy Industrial Area to Kadapa ByPass Road) of Newly proposed NH in the district of YSR Kadapa in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Y . S . R . (Kadapa)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chinthakommadinne					
Village: Pabbapuram					
1	100	Private	(Dry)	0.8389 (Acre)	0.3394982
2	101	Private	(Dry)	0.5355 (Acre)	0.2167139
3	102	Private	(Dry)	0.9311 (Acre)	0.376811
4	106	Private	(Dry)	2.9553 (Acre)	1.195994
5	107	Private	(Dry)	1.9906 (Acre)	0.8055848
6	108	Private	(Dry)	0.4077 (Acre)	0.1649939
7	109	Private	(Dry)	1.0845 (Acre)	0.4388911
8	114	Private	(Dry)	2.6333 (Acre)	1.065682
9	118	Government	(Pond)	9.7943 (Acre)	3.963699
10	124	Private	(Dry)	0.25 (Acre)	0.1011736
11	126	Private	(Dry)	0.2325 (Acre)	0.0940915
12	127	Private	(Dry)	0.1 (Acre)	0.0404695
13	33	Private	(Dry)	0.1483 (Acre)	0.0600162
14	38	Private	(Dry)	0.3467 (Acre)	0.1403076
15	45	Private	(Dry)	3.9912 (Acre)	1.615217
16	47	Private	(Dry)	8.6712 (Acre)	3.509187
17	49	Private	(Dry)	2.2526 (Acre)	0.9116147
18	50	Private	(Dry)	2.4535 (Acre)	0.9929178
19	51	Private	(Dry)	0.1 (Acre)	0.0404695
20	52	Private	(Wet)	0.0274 (Acre)	0.0110886
21	61	Private	(Village Site)	2.0984 (Acre)	0.8492108
22	93	Private	(Dry)	2.6585 (Acre)	1.07588
23	96	Private	(Dry)	0.1483 (Acre)	0.0600162
24	97	Private	(Dry)	1.5422 (Acre)	0.6241198
25	98	Private	(Dry)	4.6349 (Acre)	1.875718

Village: Papasahebpur					
26	1	Private	(Dry)	2.4344 (Acre)	0.9851882
27	2	Private	(Dry)	3.5224 (Acre)	1.425496
28	21	Government	(Road)	0.1712 (Acre)	0.0692837
29	3	Government	(Hill Stream)	0.2387 (Acre)	0.0966006
Village: Chinthakommadinne					
30	1568	Government	(Hill Stream)	0.3734 (Acre)	0.1511129
Total					23.2970471

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director